

फाइल सं.डी.26011/07/2015-सामान्य
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
(सामान्य अनुभाग)


निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 15 जुलाई, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय : गैर - सरकारी (संविदात्मक / आउटसोर्स) अधिकारियों/ कर्मचारियों के निजी वाहनों (दो/ चार पहिया) के लिए निर्माण भवन परिसर के लिए पार्किंग लेबल और निर्माण भवन में प्रवेश के लिए अस्थायी पास जारी करने से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरित को यह ज्ञात हुआ है कि कुछेक संविदात्मक / आउटसोर्स अधिकारी और कर्मचारी उनकी कार्यावधि समाप्त होने के बाद भी उनको निर्माण भवन प्रवेश के लिए दिए गए अस्थायी पास और पार्किंग लेबल सामान्य अनुभाग में जमा नहीं करते हैं। अतः रोकड़ अनुभाग से अनुरोध किया जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि, ऐसे कर्मचारियों का अंतिम पारिश्रमिक तब तक रोक दिया जाए जब तक कि वह सामान्य अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से अनापत्ति / बेबाकी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता।

2. सभी अधिकारी अपने नियंत्रणाधीन संविदात्मक /आउटसोर्स अधिकारियों और कर्मचारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दें।


15/7/2021

(अरिंदम बनर्जी)
उप निदेशक (सामान्य)
दूरभाष न.23063539

सेवा में,

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी अधिकारीगण।

प्रतिलिपि :

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ ।
2. निदेशक (सामान्य) के निजी सहायक (पीए) सूचनार्थ ।
3. आईटी प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
4. नई दिल्ली में सभी अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों के संबंध में भी इसी तरह की कार्रवाई की आवश्यकता है जिसके लिए गृह मंत्रालय पहचान पत्र और सत्यापन पर्ची और/या पार्किंग लेबल जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के स्तर पर जारी किए गए हैं।